संख्या- 31 /2019 / 75 /35-3-2019-1(34)/2017

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2019

विषय: **वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर हेतु ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-बलरामपुर हेतु शासनादेश संख्या 32/2018/121/35-3-2018-1(34)/2017दिनांक 31 जनवरी, 2018द्वाराग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु रू.448.26 लाख (रू. चार करोड़ अड़तालीस लाख छब्बीस हजार) मात्र की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू.268.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू. 179.30 लाख (रू.एक करोड़ उन्यासी लाख तीस हजार) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	**राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था- लोक निर्माण विभाग			
पचपेड़वा	1	**जुमला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ल.350मी.**	26.52	15.91	**10.61**
हरैयासतघरवा	2	**बनकटी से भगहा तक सम्पर्क मार्ग ल.1.00 किमी0**	**73.22**	43.94	**29.28**
तुलसीपुर	3	**डिहवा से नन्दमहरा तक सम्पर्क मार्ग ल.365 मी.**	**26.64**	**15.98**	**10.66**
तुलसीपुर	4	**भंगही से नन्दमहरा तक सम्पर्क**	**39.87**	**23.92**	**15.95**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		मार्ग ल.550 मी.			
गैसडी	5	अमवाबास सम्पर्क मार्ग ल.830 मीटर	63.20	37.92	25.28
		कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग			
हरैयासतघरवा	1	चौधरीडीह सिरसिया मार्ग से सहजना से डेरवा तक लेपन मरम्मत कार्य ल0 1.00 किमी0	27.71	16.63	11.08
		कुल योग	257.16	154.30	102.86
		कार्यदायी संस्था-वन विभाग			
गैसडी	1	आर0सी0सी0 काजवे निर्माण मंसूरवा से मुतेहरा वन मार्ग पर मूसीनाला में ल.40 मी.	24.80	14.88	9.92
गैसडी	2	पुलिया निर्माण जनकपुर बीट के अन्तर्गत नकटी कक्ष सं0-04 जनकपुर में	22.33	13.40	8.93
गैसडी	3	रिटेनिंगवाल निर्माण जरवा वनविश्राम भवन से कवहीनाला वन मार्ग पर जरवा कक्ष सं.06 में	5.51	3.31	2.20
पचपेड़वा	4	चेकडैम निर्माण उत्तरी चन्दपुर बीट मठवा कक्ष सं0-03 ब में	20.55	12.33	8.22
पचपेड़वा	5	खडण्जा निर्माण गिधवा बी0 ओ0 पी0 से कंचनपुर बी.ओ.पी.वन मार्ग के मध्य में ल0 1.00 किमी.	23.29	13.97	9.32
पचपेड़वा	6	आर0सी0सी0 काजवे निर्माण-01 गिधवा बी0 ओ0 पी0 से कंचनपुर बी0ओ0पी0 वन मार्ग पर रेहराबीट में ल.15 मी0	9.48	5.69	3.79
पचपेड़वा	7	आर0सी0सी0काजवे निर्माण-02 गिधवा बी0ओ0 पी0 से कंचनपुर बी0 ओ0 पी0 वन मार्ग पर रेहराबीट में- ल0 15 मी0	9.48	5.69	3.79
हरैयासतघरवा	8	चेकडैम निर्माण कम्पार्टमेन्ट सं0-03 बीट चौधरीडीह ल0 20 मी0-ग्राम विनोहनी रतनवा	23.97	14.38	9.59
हरैयासतघरवा	9	चेकडैम निर्माण दक्षिणी भदवार बीट सं.-6अ में ल0 15 मी0-ग्राम भदुवार तेदुवानगर	27.72	16.63	11.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हरैयासतघरवा	10	**चेकडैम निर्माण कम्पार्टमेन्ट बनकटवा-03 बीट खैरमान दक्षिणी में ल015मी0ग्राम टेगनबार महादेव**	23.97	**14.38**	**9.59**
		योग	**191.10**	**114.66**	**76.44**
		कुल योग	**448.26**	**268.96**	**179.30**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीयकिश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सडक निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- **कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।**

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकारण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा ।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़को के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-129/दस-2019 दिनांक 28 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 31 /2019 / 75(1)/ 35-3-2019-1(34)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग,वन विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।

5-निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी,बलरामपुर ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/लोक निर्माण अनुभाग'-9 /ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटनमण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,बलरामपुर ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।